न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 27/2019

1– श्री नाथू
2– श्री नन्दलाल
3– श्री श्रवण
4– श्री लक्ष्मण

समस्त पुत्रगण श्री तेजाराम जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम भैरवाई, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ

.....रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री हेमराज राठौड़, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक–28.06.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2075 में श्री नाथू, श्री नन्दलाल, श्री श्रवण व श्री लक्ष्मण समस्त पुत्रगण श्री तेजाराम जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम भैरवाई, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ने ग्राम रूपनगढ के आराजी खसरा नम्बर 82 किस्म गै0मु0 चरागाह में से 01–05–00 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान व चारदीवारी का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 121/2018 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 15.11.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.11.2018 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी।

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलांट्स रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अंकित ग्राम भैरवाई तहसील रूपनगढ के खसरा संख्या 82 की अपनी अधिकार अर्जित आवासीय निर्मित पक्का मकान मय चारदीवारी बनाकर 20–25 वर्ष पूर्व से अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं एवं विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है तथा अपने मवेशी व चारा, घास फूस रखते हैं। अपीलान्ट्स गरीब परिवार के व्यक्ति हैं एवं आय का अन्य कोई स्त्रोत एवं आवासीय मकान नहीं है। विवादित आराजी में वर्तमान में अन्य व्यक्तियों के भी पक्के मकान बने हुए हैं जिसमें काफी वर्षों से परिवार सहित निवास करते चले आ रहे हैं। उन्होने कथन किया कि विवादग्रस्त खसरा संख्या 82 एवं खसरा संख्या 59/1 में से 05–05 बीघा भूमि क्रमशः आबादी विस्तार व चरागाह में आरक्षण/आवंटन करने हेतु ग्राम पंचायत जाजोता द्वारा दिनांक 25.08.2015 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है एवं पटवारी हल्का जाजोता द्वारा तहसीलदार रूपनगढ को ग्रामवासियों की सूची सहित इस हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सूची की क्रम संख्या 1 से 4 पर अपीलान्ट्स का नाम अंकित है। उन्होने आगे कथन किया कि राजनैतिक प्रतिनिधियों द्वारा ईर्ष्यावश रेस्पोन्डेन्ट से मिलीभगत करके दिनांक 08.10.2018 को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया जाकर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 30.10.2018 नियत की गई तथा नियत दिनांक को पीठासीन अधिकारी के राजकीय दौरे पर होने के कारण आगामी दिनांक 15.11.2018 नियत की गई किन्तु नियत दिनांक को अपीलान्ट्स द्वारा जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने का निवेदन करने के उपरान्त भी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अनदेखी करते हुए दिनांक 15.11.2018 को अपीलान्ट के खिलाफ विधि विरूद्ध आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपीलान्ट के पास निवास हेतु अन्य कोई आवासीय मकान नहीं है। अपीलान्ट के निर्मित आवासीय मकान व चारदीवारी को ध्वस्त नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जबाव में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक गै0मु0 चरागाह दर्ज है जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का जाजोता ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान व चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में गै0मु0 चरागाह दर्ज होकर प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 28.06.2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आनन्दीलाल वैष्णव)
(आनन्दीलाल वैष्णव)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर, अजमेर
अजमेर

Scanned by CamScanner